



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना

वित्तीय वर्ष 2023-24



गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

मो. आफाक आलम
माननीय मंत्री
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग



संदेश

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार सृजन में गव्य विकास कार्यक्रमों की अहम भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत देशी गाय के सम्वर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में गव्य विकास निदेशालय द्वारा "देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना" के माध्यम से राज्य में देशी गायों के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों को देशी गाय/हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) उपलब्ध कराकर राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ देशी गायों की संख्या में वृद्धि करना है।

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 एवं 04 देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभुकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने तथा 15 एवं 20 देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ-साथ पौष्टिक आहार के रूप में उत्पाद की उपलब्धता को पूरा किया जायेगा।

सभी वर्गों की आम जनता से अनुरोध है कि देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत अपने मनोनुकूल देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करें एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान का लाभ उठायें तथा अपने एवं राज्य के विकास में योगदान के साथ-साथ देशी गौपालन को प्रोत्साहित करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने एवं उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगा। साथ ही आम जनों को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा।

Mr. Afak Alam
(मो. आफाक आलम)

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी, भा.प्र.से.

प्रधान सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार



संदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विकासोन्मुखी कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलायी जा रही है। विभाग अन्तर्गत गव्य विकास निदेशालय के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में देशी गायों की संख्या में वृद्धि करने को ध्यान में रखते हुए देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत पशुपालकों को बड़ी संख्या में देशी गाय/हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 एवं 04 देशी गाय/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभुकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने तथा 15 एवं 20 देशी गाय /हिफर की डेयरी इकाई स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त पशुपालकों के लिए गौ पालन में आधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त करने हेतु गव्य तकनीक में निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विगत वर्षों में डेयरी प्रक्षेत्र की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं दूध जन्य उत्पाद की उपलब्धता को पूरा करने के लिये देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना मील का पत्थर साबित होगा।

मुझे विश्वास है कि देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना एवं गव्य तकनीक में प्रशिक्षण की योजना से राज्य दूध उत्पादन में वृद्धि तथा डेयरी प्रक्षेत्र के कृषकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ पौष्टिक दुग्ध उत्पादन में सफल होगा।


(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)



वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत सात निश्चय-2 के तहत देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु

मार्ग निर्देशिका

- 1. योजना का नाम :** देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना
- 2. योजना का उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में देशी गायों के सम्बर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

इस योजना के अन्तर्गत देशी नस्ल के 02 एवं 04 देशी गाय/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75% एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है तथा 15 एवं 20 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40% अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।
- 3. कार्यक्षेत्र :** राज्य के सभी जिलों में।
- 4. पात्रता :** राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियोंको शामिल किया जायेगा।
- 5. योजना का क्रियान्वयन :** योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।
- 6.** इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑनलाईन भरे जायेंगे।
- 7.** इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :
 - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी-सदस्य सचिव
 - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य
- 8.** स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण आवेदन को स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।
- 9.** लाभूकों द्वारा स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत देशी गायों/बाछी-हिफर का क्रय अधिकृत पशु आपूर्तिकर्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये देशी गायों/बाछी-हिफर में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय कर सकते हैं।
- 10.** दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके



प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

11. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
12. लाभूकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को अन्य कागजात के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण-पत्र अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
13. इस योजना के तहत आवेदकों का चयन में (i) विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों (ii) दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं (iii) जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
14. इस योजना के आवेदकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
15. इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभुक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करें। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के समय लाभुक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटोग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।
16. स्वलागत में दुधारू पशु का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार (दो बार) करने के लिए लाभुक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तवार (दो बार)।
17. इस योजना के तहत 04 देशी गाय/बाछी-हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 5 (पाँच) कठ्ठा तथा 15 एवं 20 देशी गाय/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई हेतु कम से कम 10 (दस) कठ्ठा अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सकें।
18. डेयरी इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त न तो डेयरी इकाई स्थापित की जायेगी और न ही लाभूकों/बैंक द्वारा अनुदान का दावा मान्य होगा। बैंक से प्राप्त दावा विपत्र के आलोक में लाभूकों को सब्सिडी का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना



एनेक्सचर-1

प्रोजेक्ट-रिपोर्ट (2023-24)

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना

02 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक देशी गाय, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की देशी गाय/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।
2	तकनीकी मापदण्ड:	
	– एक इकाई में कुल देशी गाय की संख्या–	2
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन–	12 लीटर
3	प्रति देशी गाय प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:	
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा – 20 कि. ग्रा. सूखा चारा– 5 कि. ग्रा. संतुलित पशु आहार– 5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा – 15 कि. ग्रा. सूखा चारा– 7 कि. ग्रा. संतुलित पशु आहार– 1 कि. ग्रा.
4	वित्तीय गणना:	
	एक देशी गाय की कीमत –	रु. 1,00,000 /–
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य–	रु. 50 /–
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.–	रु. 24 /–
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.–	रु. 5 /–
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.–	रु. 7 /–
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–	रु. 3,000 /–
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय–	रु. 20 /–
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)–	रु. 3,000 /–



योजना की रूप रेखा प्रति इकाई 02 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	देशी गाय-02	प्रति देशी गाय ₹1,00,000 की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 10,000.00)	2,00,000 / -
2.	पशु बीमा (ट्राजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹2,00,000 X 6%	12,000 / -
3.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		30,000 / -
कुल राशि			2,42,000/-

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय-	₹ 2,42,000 / -	₹ 2,42,000 / -
2.	लाभूक का अंशदान-	₹ 12,100 / - (5%)	₹ 24,200 / - (10%)
3.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान-	₹ 1,81,500 / - (75%)	₹ 1,21,000 / - (50%)
4.	बैंक ऋण-	₹ 48,400 / - (20%)	₹ 96,800 / - (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाइयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू देशी गाय	2	2
2.	बाछा, बाछियाँ	2	1
कुल:		4	3

(III) एक वर्ष में सूखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य

क्र.	मात्रा	दर (₹.)	मूल्य (₹.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 x 3 x 300) = 45 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹. 700 / -	41,300 / -
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 x 3 x 65) = 13.65 क्विंटल (क+ख) = 58.65 क्विंटल, अर्थात् 59 क्विंटल		



क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 3X 300)= 180 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 / -	1,05,000/-
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 x 3 x 65)= 29.25 क्विंटल (क+ख) = 29.25 क्विंटल, अर्थात्, 210 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 2 x 300)= 30 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 / -	84,000/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 x 2 x 65)= 1.30 क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष (0.5 x 2 x 365)= 3.65 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 34.95 क्विंटल, अर्थात् 35 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			2,30,300/-

(IV) मूल्य हास एवं सूद:

(क)	देशी गायों पर 12 प्रतिशत की दर से (2,00,000 x 12%)	24,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति 48,400 x 12%)	5,808/-
	(शेष वर्गों के लिए 96,800x 12%)	11,616/-
कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):		29,808/-
कुल योग (शेष वर्गों के लिए):		35,616/-



(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 7,000 ली. का मूल्य, रु. 50/- प्रति लीटर की दर से 50 x 7000 ली.	3,50,000/-
(ख)	1 बाछी की बिक्री रु. 26,000/- प्रति बाछी की दर से	26,000/-
(ग)	1 बाछा की बिक्री रु. 8,000/- प्रति बाछा की दर से	8,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (70 x 20)	1,400/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से	6,000/-
कुल योग:		3,91,400/-

(2) व्यय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	2,30,300/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	12,000/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	3,000/-
कुल योग:		2,45,300/-

लाभ	=	(आय - व्यय) = रु. (3,91,400 - 2,45,300) = रु.1,46,100/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ - मूल्य हास एवं सूद)
अ.पि.व./अनु. जाति/जनजाति	=	रु.(1,46,100 - 29,808) = रु. 1,16,292/-
शेष वर्गों के लिए	=	रु.(1,46,100 - 35,616) = रु. 1,10,484/-

इस प्रकार दो देशी गाय की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रु. 1,16,292/- एवं शेष वर्गों के लिए रु. 1,10,484/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर



एनेक्सचर-2

04 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक देशी गाय, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की देशी गाय/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।
---	---------------------------	--

तकनीकी मापदण्ड:		
2	एक इकाई में कुल दुधारु देशी गाय की संख्या	4
	प्रत्येक देशी गाय का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन	12 लीटर

प्रति देशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता			
3	(1) दूध देने की अवधि में-	हरा चारा -	20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा-	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार-	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में-	हरा चारा -	15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा-	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार-	1 कि. ग्रा.

वित्तीय मापदण्ड:		
एक देशी गाय की कीमत	रु. 1,00,000 /-	
प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य-	रु. 50 /-	
संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.-	रु. 24 /-	
4	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.-	रु. 5 /-
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि.ग्रा.-	रु. 7 /-
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई-	रु. 3,000 /-
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय -	रु. 20 /-
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी) -	रु. 3,000 /-



योजना की रूप-रेखा प्रति इकाई 04 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	देशी गाय-04	प्रति देशी रू. 1,00,000/- की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (4 x 1,00,000/-)	4,00,000/-
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू. 4,00,000/- x 6%	24,000/-
3.	पशुशाला निर्माण	240 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट रू. 400/- की दर से	96,000/-
कुल राशि: (रू.)			5,20,000/-

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा:

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनु.जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)-	रू. 5,20,000/-	रू. 5,20,000/-
2.	लाभूक का अंशदान -	रू. 26,000/- (5%)	रू. 52,000/- (10%)
3.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान -	रू. 3,90,000/- (75%)	रू. 2,60,000/- (50%)
4.	बैंक ऋण -	रू. 1,04,000/- (20%)	रू. 2,08,000/- (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	देशी गाय	4	4
2.	बाछा, बाछियाँ	4	2
कुल:		8	6



(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1.	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 x 6 x 300)= 90 किंवंटल	प्रति किंवंटल रु. 700 /—	82,600 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 x 6 x 65)= 27.30 किंवंटल (क+ख) = 117.30 किंवंटल, अर्थात् 118 किंवंटल,		
2.	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 x 6 x 300)= 360 किंवंटल	प्रति किंवंटल रु. 500 /—	2,09,500 /—
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 x 6 x 65)= 58.50 किंवंटल (क+ख) = 418.50 किंवंटल, अर्थात् 419 किंवंटल		
3.	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि.ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 4 x 300)= 60 किंवंटल	प्रति किंवंटल रु. 2,400 /—	1,68,000 /—
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि.ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 x 4 x 65)= 2.60 किंवंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 x 4 x 365)= 7.30 किंवंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग)= 69.90 किंवंटल, अर्थात् 70 किंवंटल		
कुल योग: (1+2+3)			4,60,100/—



(IV) मूल्य हास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (4,00,000 x12%)	48,000/-
	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
(ख)	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति 1,04,000 x12%)	12,480/-
	(शेष वर्गों के लिए 2,08,000 x12%)	24,960/-
कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):		60,480/-
कुल योग (शेष वर्गों के लिए):		72,960/-

(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 14,000 ली. का मूल्य, रु. 50/- प्रति लीटर की दर से	7,00,000/-
(ख)	2 बाछी की बिक्री रु. 26,000/- प्रति बाछी की दर से	52,000/-
(ग)	2 बाछा की बिक्री रु. 8,000/- प्रति बाछा की दर से	16,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (140 x 20)	2,800/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से (3000 x 4)	12,000/-
कुल योग:		7,82,800/-

(2) व्यय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	4,60,100/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	24,000/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	6,000/-
कुल योग:		4,90,100/-

लाभ	=	(आय - व्यय) = रु. (7,82,800 - 4,90,100) = रु. 2,92,700/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ - मूल्य हास एवं सूद)
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनु. जाति/जनजाति	=	रु. (2,92,700 - 60,480) = रु. 2,32,220/-
शेष वर्गों के लिए	=	रु. (2,92,700 - 72,960) = रु. 2,19,740/-

इस प्रकार चार देशी गाय की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रु. 2,32,220/- एवं शेष वर्गों के लिए रु. 2,19,740/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर



एनेक्सचर-3

15 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक देशी गाय, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की देशी गाय/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।
---	---------------------------	--

तकनीकी मापदण्ड:		
2	एक इकाई में कुल दुधारु देशी गाय की संख्या	15
	प्रत्येक देशी गाय का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन	12 लीटर

प्रति देशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता			
3	(1) दूध देने की अवधि में-	हरा चारा -	20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा-	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार-	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में-	हरा चारा -	15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा-	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार-	1 कि. ग्रा.

वित्तीय मापदण्ड:		
4	एक देशी गाय की कीमत	रु. 1,00,000/-
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य-	रु. 50/-
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.-	रु. 24/-
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.-	रु. 5/-
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि.ग्रा.-	रु. 7/-
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई-	रु. 3,000/-
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय -	रु. 20/-
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी) -	रु. 3,000/-



योजना की रूप-रेखा प्रति इकाई 15 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	देशी गाय-15	प्रति देशी रू. 1,00,000/- की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (15 x 1,00,000/-)	15,00,000/-
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू. 15,00,000/- x 6%	90,000/-
3.	पशुशाला निर्माण	900 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट रू. 400/- की दर से	3,60,000/-
4.	मिल्कींग मशीन के क्रय पर होने वाले व्यय		70,000/-
कुल राशि: (रू.)			20,20,000/-

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा:

क्र.	विवरण	सभी वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)-	रू. 20,20,000/-
2.	लाभूक का अंशदान -	रू. 2,02,000/- (10%)
3.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान -	रू. 8,08,000/- (40%)
4.	बैंक ऋण -	रू. 10,10,000/- (50%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	देशी गाय	15	15
2.	बाछा, बाछियाँ	15	7
कुल:		30	22



(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1.	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 x 22 x 300)= 330 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 700 /—	3,01,000 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 x 22 x 65)= 100.10 क्विंटल (क+ख) = 430.10 क्विंटल, अर्थात् 430 क्विंटल,		
2.	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 x 22 x 300)= 1320 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 /—	7,67,500 /—
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 x 6 x 65)= 58.50 क्विंटल (क+ख) = 1534.50 क्विंटल, अर्थात् 1535 क्विंटल		
3.	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि.ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 15 x 300)= 225 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 /—	6,28,800 /—
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि.ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 x 15 x 65)=9.75 क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 x 15 x 365)= 27.375 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग)= 262.125 क्विंटल, अर्थात् 262 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			16,97,300/—



(IV) मूल्य हास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (15,00,000 x 12%)	1,80,000/-
	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
(ख)	(सभी वर्गों के लिए 10,10,000 x 12%)	1,21,200/-
कुल योग:		3,01,200/-

(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 52,500 ली. का मूल्य, रु. 50/- प्रति लीटर की दर से	26,25,000/-
(ख)	8 बाछी की बिक्री रु. 26,000/- प्रति बाछी की दर से	2,08,000/-
(ग)	7 बाछा की बिक्री रु. 8,000/- प्रति बाछा की दर से	56,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (525 x 20)	10,500/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से (3000 x 15)	45,000/-
कुल योग:		29,44,500/-

(2) व्यय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	16,97,300/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	90,000/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	22,500/-
(घ)	मजदूर खर्च प्रति माह रु. 9000/- की दर से प्रति वर्ष (02 मजदूर)	2,16,000/-
कुल योग:		20,25,800/-

लाभ	=	(आय - व्यय) = रु. (29,44,500 - 20,25,800) = रु. 9,18,700/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ - मूल्य हास एवं सूद)
शेष वर्गों के लिए	=	रु. (9,18,700 - 3,01,200) = रु. 6,17,500/-

इस प्रकार 15 देशी गाय की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में सभी वर्गों के लिए रु. 6,17,500/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर



एनेक्सचर-4

20 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक देशी गाय, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की देशी गाय/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।
---	---------------------------	--

तकनिकी मापदण्ड:		
2	एक इकाई में कुल दुधारु देशी गाय की संख्या	20
	प्रत्येक देशी गाय का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन	12 लीटर

प्रति देशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता			
3	(1) दूध देने की अवधि में-	हरा चारा -	20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा-	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार-	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में-	हरा चारा -	15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा-	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार-	1 कि. ग्रा.

वित्तीय मापदण्ड:		
4	एक देशी गाय की कीमत	रु. 1,00,000 / -
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य-	रु. 50 / -
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.-	रु. 24 / -
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.-	रु. 5 / -
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि.ग्रा.-	रु. 7 / -
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई-	रु. 3,000 / -
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय -	रु. 20 / -
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी) -	रु. 3,000 / -



योजना की रूप-रेखा प्रति इकाई 20 देशी गाय/बाछी-हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर)

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	देशी गाय-20	प्रति देशी रू. 1,00,000/- की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (20 x 1,00,000/-)	20,00,000/-
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू. 20,00,000/- x 6%	1,20,000/-
3.	पशुशाला निर्माण	1200 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट रू. 400/- की दर से	4,80,000/-
4.	मिल्कींग मशीन के क्रय पर होने वाले व्यय		70,000/-
कुल राशि: (रू.)			26,70,000/-

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा:

क्र.	विवरण	सभी वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)-	रू. 26,70,000/-
2.	लाभूक का अंशदान -	रू. 2,67,000/- (10%)
3.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान -	रू. 10,68,000/- (40%)
4.	बैंक ऋण -	रू. 13,35,000/- (50%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	देशी गाय	20	20
2.	बाछा, बाछियाँ	20	10
कुल:		40	30



(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1.	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 x 30 x 300)= 450 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 700 /—	4,10,900 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 x 30 x 65)= 136.50 क्विंटल (क+ख) = 586.50 क्विंटल, अर्थात् 587 क्विंटल,		
2.	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 x 30 x 300)=1800 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 /—	7,67,500 /—
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 x 30 x 65)= 292.50 क्विंटल (क+ख) = 2092.50 क्विंटल, अर्थात् 2093 क्विंटल		
3.	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि.ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 20 x 300)= 300 क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 /—	8,40,000 /—
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि.ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 x 20 x 65)=13 क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 x 20 x 365)= 36.50 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग)= 349.50 क्विंटल, अर्थात् 350 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			20,18,400/—



(IV) मूल्य हास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (20,00,000 x 12%)	2,40,000/-
	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
(ख)	(सभी वर्गों के लिए 13,35,000 x 12%)	1,60,200/-
कुल योग:		4,00,200/-

(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 70,500 ली. का मूल्य, रु. 50/- प्रति लीटर की दर से	35,00,000/-
(ख)	10 बाछी की बिक्री रु. 26,000/- प्रति बाछी की दर से	2,60,000/-
(ग)	10 बाछा की बिक्री रु. 8,000/- प्रति बाछा की दर से	80,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (700 x 20)	14,000/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से (3000 x 20)	60,000/-
कुल योग:		39,14,000/-

(2) व्यय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	20,18,400/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	1,20,000/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	30,000/-
(घ)	मजदूर खर्च प्रति माह रु. 9000/- की दर से प्रति वर्ष (02 मजदूर)	2,16,000/-
कुल योग:		23,84,400/-

लाभ	=	(आय - व्यय) = रु. (39,14,000 - 23,84,400) = रु. 15,29,600/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ - मूल्य हास एवं सूद)
शेष वर्गों के लिए	=	रु. (15,29,600 - 4,00,200) = रु. 11,29,400/-

इस प्रकार 20 देशी गाय की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में सभी वर्गों के लिए रु. 11,29,400/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर



देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष-2023-24
स्वलागत से अनुदान की राशि जारी करने हेतु दावा विपत्र (2 प्रति में)

1	लाभार्थी का नाम-	
	पिता/पति का नाम -	
2	ग्राम-	पोस्ट -
	थाना -	प्रखंड -
	प्रखंड -	पंचायत -
	जिला -	
3	कोटि -	मो. न.-
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं इकाई का आकार -	
5	बैंक/शाखा का नाम -	
	बैंक का IFSC Code-	
	लाभुक का खाता सं.-	
6	परियोजना पर कुल लागत व्यय -	₹
7	लाभुक द्वारा वहन किया गया राशि -	₹
08	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा	
	देशी गाय/बाछी-हिफर हेतु-	₹
	पशु बीमा हेतु -	₹
	पशुशाला निर्माण हेतु -	₹
	परिवहन हेतु -	₹
	साज - सज्जा हेतु -	₹
	दावा की गई कुल राशि -	₹
	योजना की प्रगति -	

अनुरोध है कि अनुदान की राशि ₹.....

विमुक्त करने की कृपा की जाय ।

आवेदक का हस्ताक्षर



देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान राशि निर्गत करने हेतु दावा विपत्र

बैंक एवं शाखा का नाम तथा पता :, पत्र/दावा विपत्र संख्या:, दिनांक:

मो0/दूरभाष संख्या :

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,

विषय:..... इकाई की स्थापना हेतु अनुदान राशि निर्गत करने के लिए दावा विपत्र के संबंध में।

1	उद्यमकर्ता का नाम-	
2	उद्यमकर्ता का पूर्ण पता-	ग्राम : पोस्ट : थाना : प्रखण्ड : जिला : पिनकोड : <input type="text"/> मो0/दूरभाष संख्या-
3	कोटि-	सामान्य <input type="checkbox"/> अत्यन्त पिछड़ा वर्ग <input type="checkbox"/> अनु. जाति <input type="checkbox"/> अनु. जनजाति <input type="checkbox"/>
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं स्थापित ईकाई का आकार-	
5	परियोजना स्थापित करने के स्थान का नाम एवं पता-	ग्राम : पोस्ट : थाना : प्रखण्ड : जिला : पिनकोड : <input type="text"/>
6	IFSC कोड के साथ अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक का खाता संख्या	खाता संख्या- <input type="text"/> IFSC कोड- <input type="text"/>
7	परियोजना पर कुल लागत व्यय-	रु0
8	परियोजना हेतु कुल स्वीकृत ऋण एवं ब्याज दर-	रु0
9	स्वीकृत ऋण का खाता संख्या एवं तिथि-	खाता सं0- <input type="text"/>
10	लाभूक द्वारा वहन किया गया मार्जिन मनी-	रु0
11	ऋण खाता में अब तक विमुक्त राशि -	रु0
12	लाभूक द्वारा वहन किया जाने वाला EMI -	रु0
13	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा-	
	(i) देशी गाय हेतु-	रु0
	(ii) पशु बीमा हेतु -	रु0
	(iii) पशुशाला निर्माण हेतु -	रु0
	(iv) परिवहन व्यय हेतु -	रु0
	दावा की गयी कुल अनुदान राशि -	रु0
14	परियोजना से संबंधित अन्य कोई जानकारी-	

ब्याज दर-

तिथि-

तिथि-

अतः हम अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त उद्यमकर्ता के लिये राशि अनुदान के रूप में रु.....

(.....) मात्र विमुक्त किया जाय।

स्थान :

दिनांक :

अनिवार्य अनुलग्नक-

(i) पशु क्रय प्रतिवेदन। (ii) हाट का रसीद। (iii) पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(iv) पशु बीमा रसीद टैग नम्बर सहित। (v) लाभूक का स्थापित किये गये Asset के साथ रंगीन फोटो।

बैंक के शाखा प्रबंधक का सील एवं हस्ताक्षर

(वित्त पोषक बैंक)



देशी गाय/बाछी-हिफर का क्रय प्रतिवेदन (देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना)

कार्यालय का नाम-

बैंक का नाम/स्वलागत-

दिनांक

क्र०	देशी गाय/बाछी-हिफर का विवरण	नस्ल	उम्र	रंग	पहचान चिन्ह का विवरण	देशी गाय/बाछी-हिफर का स्वास्थ्य	दूध की मात्रा (कि०ग्रा०)				देशी गाय/बाछी-हिफर का मूल्य (रु०)	बीमा का विवरण टैग नम्बर सहित	अभ्युक्ति (डाटा ईयर टैग न०)
							1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	प्रथम दुहाई	द्वितीय दुहाई	तृतीय दुहाई	औसत दुहाई	12	13	14

लाभक का नाम-
पिता/पति का नाम-
ग्राम/मु०-
पोस्ट-
थाना-
प्रखण्ड-
जिला नाम-
मो०/दूरभाष संख्या-
मैं अपनी पसन्द का देशी गाय/बाछी- हिफर क्रय कर रहा/रही हूँ।

देशी गाय/बाछी- हिफर का स्वास्थ्य परीक्षण मेरे द्वारा किया गया।
मवेशी स्वस्थ एवं निरोग है। क्रय की अनुशंसा की जाती है।

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर
मो. सं.

लाभान्वित का हस्ताक्षर
जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
प्रमाणित किया जाता है कि क्रय किये गये देशी गाय/बाछी- हिफर को डाटा ईयर टैग लगा दिया गया है।
बीमा पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर



पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना)

जिला का नाम : दिनांक :

पशु हाट एवं स्थान का नाम :

1 देशी गाय/बाछी-हिफर क्रेता का नाम

2 पिता/पति का नाम

3 क्रेता का पता-

ग्राम : पोस्ट : थाना:

जिला : प्रखण्ड : मो0/दूरभाष संख्या :

4 वित्तीय संस्था का नाम (बैंक)/स्वलागत

5 पशु का पहचान चिन्ह (डाटा इयर टैग नं.)

6 पशु की जाति/नस्ल.....

7 पशु का लिंग रंग अन्य चिन्ह

8 पशु का उम्र वर्ष महीना

9 पशु की ऊँचाई फीट ईंच

10 पशु की लम्बाई फीट ईंच

11 बियान की संख्या

12 पशु क्रय की तिथि

13 पशु का अनुमानित मूल्य

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम एवं मुहर-

पशु चिकित्सक का नाम-

पशु चिकित्सक का मो. नं.-



गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 75% अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :

क्र.	जिला	02 देशी गाय				04 देशी गाय				कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	20	2420000	4	726000	8	2080000	1	390000	33	5616000
2	रोहतास	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
3	कैमूर	17	2057000	2	363000	6	1560000	1	390000	26	4370000
4	अररिया	20	2420000	4	726000	8	2080000	1	390000	33	5616000
5	अरवल	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
6	जहानाबाद	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
7	बांका	17	2057000	3	544500	8	2080000	1	390000	29	5071500
8	भागलपुर	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
9	गोपालगंज	17	2057000	4	726000	5	1300000	1	390000	27	4473000
10	पूर्वी चम्पारण	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
11	प0 चम्पारण	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
12	जमुई	20	2420000	4	726000	6	1560000	1	390000	31	5096000
13	किशनगंज	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
14	कटिहार	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
15	लखीसराय	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
16	बेगूसराय	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
17	मधुबनी	20	2420000	4	726000	6	1560000	1	390000	31	5096000
18	दरभंगा	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
19	समस्तीपुर	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
20	मधेपुरा	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
21	सहरसा	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
22	मुंगेर	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
23	खगड़िया	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
24	नालन्दा	20	2420000	7	1270500	10	2600000	1	390000	38	6680500
25	नवादा	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
26	गया	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
27	पूर्णियाँ	30	3630000	10	1815000	10	2600000	2	780000	52	8825000
28	पटना	30	3630000	10	1815000	10	2600000	2	780000	52	8825000
29	भोजपुर	16	1936000	2	363000	6	1560000	1	390000	25	4249000
30	बक्सर	16	1936000	2	363000	6	1560000	1	390000	25	4249000
31	शेखपुरा	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
32	सीतामढ़ी	17	2057000	3	544500	6	1560000	1	390000	27	4551500
33	शिवहर	15	1815000	2	363000	5	1300000	1	390000	23	3868000
34	मुजफ्फरपुर	17	2057000	2	363000	6	1560000	1	390000	26	4370000
35	सुपौल	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
36	सारण	20	2420000	5	907500	6	1560000	1	390000	32	5277500
37	वैशाली	17	2057000	2	363000	6	1560000	1	390000	26	4370000
38	सीवान	15	1815000	2	363000	6	1560000	1	390000	24	4128000
कुल		662	80102000	121	21961500	240	62400000	40	15600000	1063	180063500

(रूपये अठारह करोड़ तिरसठ हजार पाँच सौ) मात्र



गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशी गोपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेयरी इकाई हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य:

क्र.	जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति		कुल	
		02 देशी गाय		04 देशी गाय		02 देशी गाय		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
1	औरंगाबाद	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
2	रोहतास	5	907500	2	780000	4	726000	11	2413500
3	कैमूर	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
4	अररिया	8	1452000	2	780000	6	1089000	16	3321000
5	अरवल	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
6	जहानाबाद	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
7	बांका	5	907500	2	780000	5	907500	12	2595000
8	भागलपुर	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
9	गोपालगंज	6	1089000	1	390000	4	726000	11	2205000
10	पूर्वी चम्पारण	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
11	प0 चम्पारण	5	907500	1	390000	5	907500	11	2205000
12	जमुई	6	1089000	2	780000	4	726000	12	2595000
13	किशनगंज	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
14	कटिहार	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
15	लखीसराय	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
16	बेगूसराय	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
17	मधुबनी	6	1089000	2	780000	0	0	8	1869000
18	दरभंगा	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
19	समस्तीपुर	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
20	मधेपुरा	6	1089000	1	390000	4	726000	11	2205000
21	सहरसा	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
22	मुंगेर	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
23	खगड़िया	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
24	नालन्दा	9	1633500	2	780000	0	0	11	2413500
25	नवादा	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
26	गया	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
27	पूर्णियाँ	10	1815000	4	1560000	6	1089000	20	4464000
28	पटना	10	1815000	4	1560000	0	0	14	3375000
29	भोजपुर	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
30	बक्सर	6	1089000	1	390000	4	726000	11	2205000
31	शेखपुरा	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
32	सीतामढ़ी	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
33	शिवहर	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
34	मुजफ्फरपुर	5	907500	1	390000	0	0	6	1297500
35	सुपौल	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
36	सारण	8	1452000	1	390000	4	726000	13	2568000
37	वैशाली	6	1089000	1	390000	0	0	7	1479000
38	सीवान	5	907500	1	390000	4	726000	10	2023500
	कुल	219	39748500	51	19890000	82	14883000	352	74521500

(रूपये सात करोड़ पैतालीस लाख एककीस हजार पाँच सौ) मात्र




गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 40% अनुदान पर 15 एवं 20 दुधारु देशी गाय/बाछी (हिफर) की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य:

क्र.	जिला	15 देशी गाय						20 देशी गाय		कुल	
		सभी वर्ग के लिए		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		सभी वर्ग के लिए		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
1	औरंगाबाद	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
2	रोहतास	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
3	कैमूर	1	808000	0	0	1	808000	1	1068000	3	2684000
4	अररिया	1	808000	1	808000	1	808000	2	2136000	5	4560000
5	अरवल	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
6	जहानाबाद	1	808000	0	0	0	0	1	1068000	2	1876000
7	बांका	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
8	भागलपुर	1	808000	0	0	1	808000	1	1068000	3	2684000
9	गोपालगंज	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
10	पूर्वी चम्पारण	1	808000	0	0	0	0	1	1068000	2	1876000
11	प० चम्पारण	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
12	जमुई	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
13	किशनगंज	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
14	कटिहार	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
15	लखीसराय	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
16	बेगूसराय	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
17	मधुबनी	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
18	दरभंगा	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
19	समस्तीपुर	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
20	मधेपुरा	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
21	सहरसा	1	808000	0	0	1	808000	1	1068000	3	2684000
22	मुंगेर	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
23	खगड़िया	1	808000	0	0	0	0	1	1068000	2	1876000
24	नालन्दा	1	808000	1	808000	0	0	2	2136000	4	3752000
25	नवादा	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
26	गया	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
27	पूर्णियाँ	2	1616000	1	808000	1	808000	2	2136000	6	5368000
28	पटना	1	808000	1	808000	0	0	2	2136000	4	3752000
29	भोजपुर	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
30	बक्सर	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
31	शेखपुरा	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
32	सीतामढ़ी	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
33	शिवहर	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
34	मुजफ्फरपुर	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
35	सुपौल	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
36	सारण	1	808000	1	808000	1	808000	1	1068000	4	3492000
37	वैशाली	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
38	सीवान	1	808000	1	808000	0	0	1	1068000	3	2684000
	कुल	39	31512000	32	25856000	17	13736000	42	44856000	130	115960000

(रुपये ग्यारह करोड़ उनसठ लाख साठ हजार) मात्र

महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु
गव्य विकास की योजनाएँ अपनायें।



गौ पालन – सुख, समृद्धि और सम्मान



गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना
द्वारा जनहित में प्रचारित।